आज पत्रावली पेश हुई वकील वादी व स्वयं वादीगण को रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। इससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद पत्र के प्रति गंभीर नहीं है और वादपत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः वादीगण का वादपत्र अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
महुवा (दौसा)